



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(पंरावि/प्रशा.2/कनि. अभि./स्थाना.पद./18/पार्ट/4)6) जयपुर दिनांक:-11.10.18

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 701( ) पंरावि/प्रशा.2/कनि. अभि./स्थाना.पद./18/पार्ट/3966 दिनांक 6.9.18 के क्रमसंख्या 4 पर अंकित एवं संशोधित आदेश क्रमांक 4005 दिनांक 11.09.18 द्वारा श्री प्रकाश सैन, कनिष्ठ अभियन्ता (वाटरशैड) का स्थानान्तरण/पदस्थापन भू-जलग्रहण विभाग पं.स. रियांबडी जिला नागौर से पंचायत समिति, सेमारी जिला उदयपुर किया गया था। उक्त आदेशों की अनुपालना में श्री सैन को आज दिनांक 01.10.2018 को मध्याह्न पश्चात् तत्काल प्रभाव से भू-जलग्रहण विभाग पं.स. रियांबडी जिला नागौर से पंचायत समिति, सेमारी जिला उदयपुर के लिये कार्यमुक्त किया जाता है। श्री सैन नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना सम्बन्धित विकास अधिकारी के माध्यम से भिजवायेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( दिनेश कुमार जांगिड )

संयुक्त सचिव एवं

संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, नागौर/उदयपुर ।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर/उदयपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद नागौर ।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रियांबडी (नागौर)/सेमारी (उदयपुर) ।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
10. श्री प्रकाश सैन, कनिष्ठ अभियन्ता (वाटरशैड), भू-जलग्रहण विभाग, पंचायत समिति, रियांबडी (नागौर) को पालनार्थ ।
11. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

संयुक्त सचिव एवं  
संयुक्त आयुक्त